

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 जुलाई 2014—आषाढ़ 11, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2014

क्र. एफ-ए-1-7-2013-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 2 में, अनुसूची में,—

1. शीर्षक “चौवन-पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग” के अधीन,

(क) भाग-2 अल्पसंख्यक कल्याण में, अनुक्रमांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

(ख) भाग “(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थायें तथा निकाय” में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए.

2. शीर्षक “तीस-संस्कृति विभाग” के अधीन,

(क) भाग (अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय में, अनुक्रमांक 27 के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्—

“27-क. मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी से संबंधित विषय”

(ख) भाग (उ) में अनुक्रमांक 6 के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“6-क मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी, भोपाल”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2104

क्र. एफ-ए 1-7-2013-एक (1).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए 1-7-2013-एक (1), दिनांक 2 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd July 2014

No. F.A-1-7-2013-One-(I).—In exercise of the powers conferred by Clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is Pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 2, In the Schedule,—

- (i) under the heading LIV-BACKWARD CLASSES AND MINORITIES WELFARE DEPARTMENT”
- (a) In part (2)-Minorities welfare Serial number 4 and entries relating thereto shall be omitted;
- (b) In part (E), Other Institutions and Bodies not covered under (D) above, Serial number 4 and entries relating thereto shall be omitted;
- (2) Under the heading “XXX-CULTURE DEPARTMENT”;
- (a) In part (A), Matters of Policy dealt within the Department, after Serial number 27, the following new serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—
- “27-A. Matters relating to Madhya Pradesh Urdu Academy”
- (b) In part (E) after Serial number 6, the following new serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely:—
- “6-A. Madhya Pradesh Urdu Academy, Bhopal.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R.VISHWAKARMA, Dy. Secy.